संख्या- 40 /2023/384मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2023/ 1775683

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/405/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-28.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/456/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-10.11.2023, पत्र सं0-तक0सेल/470/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-21.11.2023, पत्र सं0-तक0सेल/433/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-19.12.2023 आदि का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त पत्र में उल्लिखित निकायों हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक विकास/सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से विस्तारित नगर पंचायतों की संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराने हेतु कुल धनराशि रू0 712.469 लाख (रू0 सात करोड़ बारह लाख छियालीस हजार नौ सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 694.593 लाख (रू0 छ: करोड़ चौरानबे लाख उनसठ हजार तीन सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

5. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

7. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

8. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

9. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

10. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निगम की होगी तथा निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

11. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

12. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

14. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

17. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यदेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

18. संबंधित निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोंपरान्त एक प्रतिशत ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि सम्मिलित है। जिन निकायों द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में तीन प्रतिशत, आई0ई0सी0 एवं ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि शामिल की गयी है, उन निकायों को केवल एक प्रतिशत ए0एण्डओ0ई0 मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

19. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।
20. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 03 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
21. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।
22. प्रस्तावित कार्यों के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश दिनांक-08.08.2022 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से सत्यापन भी करा लिया जाये।
23. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।
24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,94,59,300 (रुपये छह करोड़ चौरानवे लाख उनसठ हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930400 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानके नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

I/459671/2023

संख्या- 40(1)/384मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) संबंधित मण्डलायुक्त।
(7) संबंधित जिलाधिकारी।
(8) संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत द्वारा निदेशक।
(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-५०/384मु0मं0न0सु0यो0-9-2-2023 कम्प्यटर सं0-1775683, दिनांक-30.12.2023 का अनुलग्नक

1-विस्तारित नगर पंचायत, बंकी, जनपद-बाराबंकी

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड सं० –05 जीतनगर में अजय कनौजिया के मकान से अभिषेक तिवारी के मकान तक आर०सी०सी० ड्रेन एवं सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	35.74	32.71
	योग	**35.74**	**32.71**
		(रू0 बत्तीस लाख इकहत्तर हज़ार मात्र)	

नोटः- उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 3.03 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्त्रोत से वहन की जायेगी।

2-विस्तारित नगर पंचायत, राधाकुण्ड, जनपद-मथुरा

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	Nagar panchayat radhakund seema vishatar kshetra nagala shakhi me parikarma marg me shaym ke gar tak 40mtr. 4 inchi 110 mm pvec pipe line vishthar ka kary.	8.07	8.07
	योग	**8.07**	**8.07**
		(रू0आठ लाख सात हज़ार मात्र)	

3- विस्तारित नगर पंचायत, कुलपहाड़, जनपद- महोबा

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	निर्गत की जा रही धनराशि

		की धनराशि	
1	2	3	4
1	नगर पंचायत द्वारा सीमा विस्तारित क्षेत्र में भटेवरा मार्ग से तोड़न सिंह के मकान तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य (हटवारा वार्ड नं0-06)	7.103	6.010
योग		**7.103**	**6.010**
		(रू0 छ: लाख एक हज़ार मात्र)	

नोटः- उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 1.093 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्त्रोत से वहन की जायेगी।

4- विस्तारित नगर पंचायत, अंतू, जनपद-प्रतापगढ़

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	दशरथ नगर में प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल और शौचालय निर्माण कार्य	10.844	10.844
2	दशरथनगर में भागीरथी के घर से इंटर कॉलेज तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	8.404	7.516
योग		**19.248**	**18.36**
		(रू0 अठारह लाख छत्तीस हज़ार मात्र)	

नोटः- उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 0.888 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्त्रोत से वहन की जायेगी।

5-विस्तारित नगर पंचायत, महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	सुरेन्द्र चतुर्वेदी के घर से भैरो बाबा (पिच मार्ग) स्थान तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	22.085	21.65
योग		**22.085**	**21.65**

	(रू0 इक्कीस लाख पैंसठ हज़ार मात्र)

नोटः- उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 0.435 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्रोत से वहन की जायेगी।

6-विस्तारित नगर पंचायत, धौरहरा, जनपद-लखीमपुर खीरी

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	मोहल्ला सरोजिनी नगर में प्राथमिक विद्यालय ग्रिन्टपुरवा से अमीन के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	20.882	16.155
	योग	**20.882**	**16.155**
			(रू0 सोलह लाख पन्द्रह हज़ार पाँच सौ मात्र)

नोटः - उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 4.727 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्रोत से वहन की जायेगी।

7-विस्तारित नगर पंचायत, रामपुर मनिहारन, जनपद-सहारनपुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड नं0 05 मे जगवीर नगर मे संजय के मकान से बीर सिंह के मकान तक सी 0सी0 सडक व नाली निर्माण का कार्य	13.047	13.047
2	वार्ड नं0 01 मे मन्धोरिया पैरामेडिकल कालेज से इण्डिया टूडे कॉन्वेन्ट एकेडमी स्कूल तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य	13.157	10.183
	योग	**26.204**	**23.23**
			(रू0 तेईस लाख तेईस हज़ार मात्र)

नोटः - उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 2.974 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्रोत से वहन की जायेगी।

8-विस्तारित नगर पंचायत, रामकोला, जनपद-कुशीनगर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड नं0-19 प्राथमिक विद्यालय बसहिया अमॅवा बाजार वार्ड न0-19 में शौचालय, टयलीकरण व अन्य कार्य।	11.942	11.942
2	वार्ड नं0-14 गौतम बुद्ध नगर समबिलियन विद्यालय फरना में शौचालय ,टयलीकरण, इण्टरलाकिंग, पेंटिंग, मिट्टी भराई व अन्य कार्य	18.513	18.513
3	वार्ड नं0-03, उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरवन में इंटरलाकिंग, बाउंड्रीवाल मरम्मत, टाइल्स, सुन्दरीकरण व अन्य कार्य।	10.55	10.55
4	वार्ड नं0-09 प्राथमिक विद्यालय मोरवन इमिलिया में इंटरलाकिंग, सेप्टिक टेंक, बाउंड्री, गेट व अन्य कार्य।	20.643	20.643
5	वार्ड नं0-04 अटल नगर प्राथमिक विद्यालय अमवा मिश्रौली में, शौचालय, टयलीकरण, इण्टरलाकिंग, पेंटिंग, मिट्टी भराई व आगंनबाडी में अन्य कार्य।	22.034	22.034
6	वार्ड नं0-08 राजा मदनपाल नगर प्राथमिक विद्यालय इन्द्रसेनवा में बाउन्ड्री , शौचालय, इण्टरलाकिंग, टयलीकरण, पेंटिंग, मिट्टी भराई व अन्य कार्य।	14.75	14.75
7	पथ प्रकाश व्यवस्था के अन्त्रतगत 05 अदद् 16 मीटर हाईमास्ट 12'200 वाट् आपूर्ति एवं स्थापना कार्य सहित।	38.999	38.999

8	वार्ड नं0-08 में पिच रोड से छठ माई के घाट तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	21.247	21.247
9	वार्ड नं0-08 विन्ध्याचल यादव के खेत से मनरेगा पार्क तक सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य।	20.235	20.235
10	वार्ड नं0-08 रामदेव के घर से पारसनाथ उपाध्याय के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण का कार्य।	20.034	20.034
11	वार्ड नं0-08 धर्मपाल के घर से हरिन्द्रर शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण का कार्य।	8.5	8.5
12	नगर पंचायत रामकोला में शहीद चैक का सुन्दरीकरण कार्य।	37.107	37.107
13	नगर पंचायत रामकोला में महाराणा प्रताप चैक का सुन्दरीकरण कार्य।	37.276	37.276
14	वार्ड न0-12 मां धर्मशमदा नगर में धर्मशमदा मंदिर प्रांगण का सुन्दरीकरण कार्य।	29.565	27.77
	योग	**311.395**	**309.60**
		(रू0 तीन करोड़ नौ लाख साठ हज़ार मात्र)	

नोटः - उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 1.795 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्त्रोत से वहन की जायेगी।

9-विस्तारित नगर पंचायत, गोला बाजार, जनपद-गोरखपुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	प्रोवाइडिंग इस्टिमेट ऑफ स्ट्रीट लाईट ऑन 7 मीटर ऑक्टागोनल पोल विथ सिंगल आर्म बेकेर्ट एण्ड 70 वॉट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइटिंग कम्पलिट ऑल वर्क।	19.76	19.76

2	नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 10 में सुअरज रोड पर एम0सी0ए0 स्कूल के सामने से नहर अंडर पास तक नाला निर्माण। (पश्चिम पटरी)	28.377	28.377
3	वार्ड नम्बर 18 में सत्यदेव गुप्ता के पीछे गुलर के पेड़ से गुप्ता घाट तक सीढ़ी निर्माण का कार्य।	40.313	40.313
4	नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 18 में शहीद बाबा के सामने सीढ़ी निर्माण कार्य।	39.208	39.208
5	नगर पंचायत गोला के वार्ड नम्बर 10 में दयानन्द पाल के घर से राउत पार मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	25.181	25.181
6	नगर पंचायत गोला में विस्तारित क्षेत्र गोपालपुर में जूनियर हाई स्कूल से शंकर शरण दुबे के मकान से होते हुए विवेक कुमार जायसवाल के दुकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	40.091	40.091
	योग	**192.93**	**192.93**
		(रू0 एक करोड़ बानबे लाख तिरानबे हज़ार मात्र)	

10-विस्तारित नगर पंचायत, अल्लाहगंज, जनपद-शाहजहांपुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	मोहल्ला मंझा में श्री रामनाथ के मकान से श्री मदनपाल के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	9.779	9.779
2	मोहल्ला मंझा में श्री रमेश कुशवाहा के मकान से श्री अजय वर्मा के मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	8.357	8.357
3	मोहल्ला मंझा में श्री राजेंद्र वर्मा के मकान से श्री रामप्रकाश कुशवाहा मकान तक सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य	11.732	11.732

4	मोहल्ला मंझा में जयसरन कुशवाहा के मकान से कमलेश वर्मा के मकान तक सी सी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	11.489	11.489
योग		**41.357**	**41.357**
		(रू0 इकतालीस लाख पैंतीस हज़ार सात सौ मात्र)	

11-विस्तारित नगर पंचायत, सलोन, जनपद-रायबरेली

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	वार्ड सं0 ०५ मोहल्ला गोरही में सामुदायिक शौचालय से करम खां का पुरवा तक सी0सी0 रोड एक साइड कवर्ड नाली का निर्माण कार्य	27.455	24.521
योग		**27.455**	**24.521**
		(रू0 चौबीस लाख बावन हज़ार एक सौ मात्र)	

नोटः - उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 2.934 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्रोत से वहन की जायेगी।

Digitally Signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 30-12-2023 18:51:49
Reason: Approved